104

न्यायालय माननीय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र० ~~कैम्प~~

निग -866- II-16

श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा एड० द्वारा आज दि. 11/3/16 को पेश हुआ

11-8-16
रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

§1§ धन्नी तनय भूरा अहिरवार निवासी ग्राम हनौता तहसील पलेरा जिला टीकमगढ

----निगराकार

बनाम

(1) म० प्र० शासन

§2§ दमरू तनय उजबक काछी

§3§ लक्ष्मन तनय पंचे काछी

§4§ निरपत तनय जसरथ काछी सभी निवासी ग्राम हनौता तह०पलेरा जिला टीकमगढ म०प्र०

---- प्रतिनिगराकार गण

निगरानी प्रस्तुत अपर कलेक्टर टीकमगढ के प्र०क्र० 6/निगरानी/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 28.9.2015 के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-रा०सं० 1959 के तहत ।

महोदय,

निगराकार की विनय सादर निम्न है :-

§1§ यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ का प्र०क्र०6/निग० /2014-2015 में पारित आदेश दिनांक 28.9.2015 विधि विधान एवं वाक्यात पत्रावली के विरूद्ध है क्योंकि प्रकरण धारा 5 म्याद अधिनियम के आधार पर जवाव लेकर अंतरिम आदेश हेतु नियत किया गया था परन्तु अंतिम तर्क सुने वगैर अंतिम आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की गयी है तथा उत्तरवादियों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जो म०प्र० शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के ज्ञाप क्र० 05436-451 इक्कीस-अ§प्रा§ अधिसूचना अनुसार 30 दिसम्बर 2011 के अनुसार निगरानी सुनने की अधिकारिता समाप्त कर दी गयी थी ऐसा आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ का उक्त आदेश नियम कानून के विपरीत होकर वास्तविक तथ्यों के विल्कुल विपरीत है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 866/II/2016 जिला– टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश धन्नी अहिरवार वनाम शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-3-16	(1) 1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता ने यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र0क0 06/निगरानी/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2015 से परिवेदित होकर कर रहा है। 2– आवेदक के बिद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। उनके द्वारा निगरानी साथ प्रस्तुत सूची अनुसार जो दस्तावेज प्रस्तुत किये, उनका अवलोकन किया गया। अनावेदकगण द्वारा एक निगरानी अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम हनौता, तहसील पलेरा स्थित भूमि खसरा नंबर 881/10 रकवा 1.619 हेक्टर पर आवेदक का नाम बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज किया गया है, अतः उसे निरस्त किया जाबे। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निगरानी दर्ज करके उभय पक्षों के सुनने के उपरांत उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का नामांतरण निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई। 3– यह कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसमें यह तथ्य सामने आया कि वादग्रस्त भूमि का नामांतरण आवेदक के नाम नामांतरण पंजी क्रमांक 02 पर तहसीलदार पलेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/10/1987 के द्वारा किया गया था। जिस पर आवेदक का नाम लगातार 29 साल से दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि का तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ–03/2002 –03 पर पारित आदेश दिनांक	

(2) निग0 क0 866/ II /2016

19/12/2002 के द्वारा तरमीम की गई, तदुपरांत प्रकरण कमांक 01/अ–12/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 27/02/2004 के द्वारा सीमांकन किया गया। इस प्रकार उपरोक्त भूमि के संबंध में लगातार न्यायिक कार्यवाहियों चलती रहीं, स्थल निरीक्षण एवं कार्यवाहियों भी होतीं रहीं। तब उपरोक्त तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है कि अनावेदकगण एवं अन्य कृषकों को नामांतरण की जानकारी न रही हो। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि धारा 05 पर जबाब लेकर अंतिम आदेश पारित कर दिया गया । जिस समय तरमीम हुई उस समय का पंचनामा एवं अन्य दस्तावेज संलग्न हैं, जिस पर रानि पटवारी एवं कई ग्रमीणों के हस्ताक्षर हैं। बर्तमान में उपरोक्त तरमीम संलग्न नक्शें में भी है। इसी प्रकार जब आवेदक द्वारा सीमांकन कराया गया उसके जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं, उनमें जो पंचनामा दिनांक 16/07/2003 लगा है, उस पर भी रानि, पटवारी एवं पंचों के हस्ताक्षर हैं, साथ ही सीमांकन का आम इश्तहार जारी किया गया। विधिवत सीमांकन करके फील्ड बुक तैयार की गई। उपरोक्त कार्यवाहियां चोरी छुपे नहीं की जा सकतीं हैं। जिनकी जानकारी अनावेदकगण को रही है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पंहुचा हूँ, कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में धारा 05 का निराकरण किये बगैर ही , नामांतरण की इतनी लंबी अवधि 29 साल के उपरांत जो कार्यवाही की करके आवेदक का नामांतरण निरस्त किया है वह विधि संगत नहीं है। अतः अपर कलेक्टर टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 28/09/2015 निरस्त किया जाता है। आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की वादग्रस्त भूमि पर पूर्ववत आवेदक का नाम दर्ज किया जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दायरा से पृथक कर दा0 द0 हो।

सदस्य